

244
08/11/20

1898
C.E.(6244)

EE-I
R
(CE) 9/10/2020

Sl-81
Dr-49

संख्या: 1542/III(1)/2020-75(अधि0)2007

प्रेषक,

आर0 के0 सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

7/10/20
प्रमुख अभियन्ता
लो. वि. वि.

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-01

देहरादून: दिनांक 08 अक्टूबर, 2020

विषय- लोक निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रतिमाह नियत मानदेय में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 14/61/व्यघ-सामान्य/17, दिनांक 18.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोक निर्माण विभाग में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं को शासनादेश संख्या: 617/III(1)/12-75(अधि0)/07, दिनांक 04.12.2012 द्वारा प्रतिमाह नियत मानदेय रू0 15,000/- के स्थान पर वृद्धि करते हुये रू0 35,000/- किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश संख्या: 2248/III(1)/07-75 (अधि0)/07, दिनांक 14.11.2007 द्वारा लोक निर्माण विभाग के संगठनात्मक ढाँचे में सीधी भर्ती के सापेक्ष कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर कतिपय शर्तों के अधीन अल्पकालिक तैनाती की अनुमति प्रदान की गयी है।

2- अतः इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या: 617/III(1)/12-75(अधि0)/07, दिनांक 04.12.2012 में संशोधन करते हुये लोक निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, यांत्रिक, विद्युत एवं प्राविधिक) को उन्हें वर्तमान में अनुमन्य नियत मानदेय प्रतिमाह रू0 15,000/- के स्थान पर रू0 24,000/- तात्कालिक प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

3- शासनादेश संख्या: 617/III(1)/12-75(अधि0)/07, दिनांक 04.12.2012 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश संख्या: 2248/III(1)/07-75 (अधि0)/07, दिनांक 14.11.2007 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 410/XXVII(7)2020, दिनांक 05.10.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(आर0 के0 सुधांशु)
सचिव

संख्या / III(1)/2020-75(अधि0)2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 2-सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनुसचिव

P.T.C



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक: 811 / 61 (ए) व्यघ-सामान्य/17

दिनांक 12/10/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, को इस आशय के साथ की उक्त शासकीय पत्र को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अपने स्तर से प्रचलित कराने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



(जे0सी0 पन्तौला)

अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान)

